बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या–4/कृ०शि०को0–32/2016– 2728 /कृ0, पटना, दिनांक 10/7/2017

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।
द्वारा (+) वित्त विभाग, बिहार, पटना।

अनौपचारिक रूप
से परामर्शित।

विषयः– **डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर को केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के बीच हस्ताक्षरित एम.ओ.यू. के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017–18 में तत्कालीन राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय के कर्मियों के पेंशन आदि के भुगतान हेतु 4299.62 लाख रूपये (बयालिस करोड़ निनानवे लाख बासठ हजार रूपये) सहायक अनुदान की स्वीकृति।**

आदेश : स्वीकृत।

डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर को केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के बीच हस्ताक्षरित एम.ओ.यू. के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017–18 में तत्कालीन राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय के कर्मियों के पेंशन आदि के भुगतान हेतु 4299.62 लाख रूपये (बयालिस करोड़ निनानवे लाख बासठ हजार रूपये) सहायक अनुदान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा का समपिरवर्तन डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा में किया गया है। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के बीच हस्ताक्षरित एम.ओ.यू. के आलोक में तत्कालीन राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के सेवानिवृत्त कर्मियों के पेंशन आदि के भुगतान तथा न्यायालय संबंधित मामले में आवश्यक राशि के वहन हेतु उक्त राशि स्वीकृत की जाती है।

3. स्वीकृत राशि 4299.62 लाख (बेयालीस करोड़ निन्यानवें लाख बासठ हजार) रूपये का व्यय मुख्य शीर्ष 2415–कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष–01 फसल कृषि कर्म लघु शीर्ष–277–शिक्षा, मांग सं0–1, उपशीर्ष–0005–राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को साहायय अनुदान, विपत्र कोड–01–2415012770005, विषय शीर्ष– 0005.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन में वर्ष 2017–18 में उपबंधित राशि 4300.00 लाख रूपये से विकलनीय होगा।

4. स्वीकृत राशि नियंत्रक, डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर को विमुक्त किया जायेगा। मुख्य लेखा पदाधिकारी, कृषि विभाग, बिहार, पटना द्वारा डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर के पूर्व प्राप्ति रसीद प्राप्त कर बी0टी0सी0 विपत्र–42 पर राशि की निकासी की जायेगी। निर्धारित अवधि के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

5. स्वीकृत राशि से एम.ओ.यू. के आलोक में तत्कालीन राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर के सेवानिवृत्त कर्मियों को पेंशन आदि का भुगतान किया जायेगा। विश्वविद्यालय द्वारा न्यायादेश के अनुपालन से संबंधित मामलों में प्राथमिकता के आधार पर भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त के लिए नियंत्रक, डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर स्वयं जिम्मेवार होंगे।

6. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 3758, वि0, दिनांक 31.05.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 20.06.2017 को स्वीकृति संचिका संख्या–4/कृ०शि०को0–32/2016 की पृ0सं0–44/टि० पर प्राप्त है। योजना कार्यान्वयन में मंत्री, कृषि की स्वीकृति दिनांक– 31.05.2017 को पृ0सं0– 39/टि० पर प्राप्त है।

7. वित्त विभागीय पत्रांक–7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार–पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– 4/कृ०शि०को–32/2016 के पृ0सं0–46/टि. पर दिनांक– 04.07.17 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(सुधीर कुमार)
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–4/कृ०शि०को0–32/2016 2728 /कृ0, पटना, दिनांक 10/7/, 2017

प्रतिलिपि : कृषि एवं किसान मंत्रालय भारत सरकार, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–4/कृ०शि०को0–32/2016 2728 /कृ0, पटना, दिनांक 10/7/, 2017

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग/विकास आयुक्त/कृषि निदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–4/कृ०शि०को0–32/2016 2728 /कृ0, पटना, दिनांक 10/7/, 2017

प्रतिलिपि : कुलपति, डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर/नियंत्रक, डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर/मुख्य लेखा पदाधिकारी, कृषि विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–4/कृ०शि०को0–32/2016 2728 /कृ0, पटना, दिनांक 10/7/, 2017

प्रतिलिपिः– बजट प्रभारी, कृषि विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।